

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/312
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00209
CICOM/R/2019/00825

दिनांक: 18.12.2019

अपीलकर्ता : सुश्री सीमा गांगुली,
जेप - 2 रोड, पुराना चतरा,
टाटीसिलव, रांची - 835103.
मो0 - 8709143815.

निर्णय की तारीख: 18.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	21.11.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.11.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	19925/04.12.2019

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित की गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपील वापस किए जाने, आर.टी.आई. के तहत जुर्माने एवं केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्मिक द्वारा टेलीफोन नहीं उठाने से संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

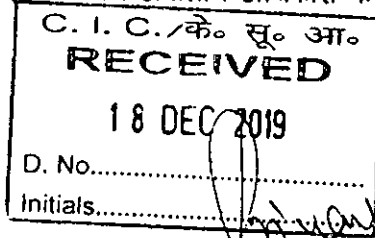
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा दिनांक 21.11.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00825 के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि "आप द्वारा चाही गई सूचना, सूचना न होकर सवाल है जो कि सूचना के अधिकार के सेक्शन 2(f) के परे है" तथापि आर.टी.आई. के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से किए गए प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया है।

प्रथम अपील की सुनवाई:

3. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं.8709143815 पर अपीलकर्ता की दिनांक 18.12.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई की गई।

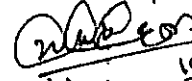
निष्कर्ष एवं निर्णय:

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) तथा दिए गए मोबाइल नं.8709143815 पर अपीलकर्ता को सुनने के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित की गई सूचनाएं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।



5. तदुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

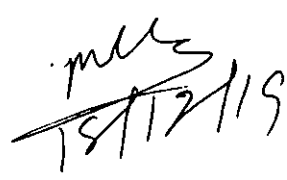

18.12.19
(योगेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. Sh. Krishan Avtar Talwar, CPIO & DR (CR-1), CIC, New Delhi.


18/12/19


18/12/19